मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 113वीं बैठक दिनांक 31.12.2005 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः अपरान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री नवीन चन्द्र बाजपेई कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री डी0सी0 लाखा, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश विशेष सचिव, वित्त
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक, सहकारी समितियाँ
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, लखनऊ।
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य	श्री सुरजीत सिंह, निदेशक, उद्यान
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री जे0एल0 सरोज, अपर कृषि निदेशक (चावल)
11.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री आनन्द कुमार मिश्र निदेशक, कृषि विपणन
12.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
01.	मा0 परिषद की 112वीं बैठक दिनांक 25.10.2005 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 25.10.2005 की अनुपालन आख्या।	112वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
03.	"अपना बाजार" परियोजना को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में आई. आई.एम. लखनऊ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट पर विचार ।	"अपना बाजार" परियोजना को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में आई.आई.एम. लखनऊ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि "अपना बाजार" में फल, सब्जी एवं पुष्प की थोक मण्डी के अतिरिक्त विभिन्न जिन्सों के फुटकर व्यवसाय, खाद्य एवं प्रसंस्कृत पदार्थ तथा उपभोक्ता सामग्री की दुकानों, सेवा बाजार, मनोरंजन और खाने पीने की सुसज्जित व्यवस्था को समेकित रूप से एक स्थान पर उपलब्ध कराकर इसे प्रदेश के एक विशिष्ट बाजार के रूप में विकसित किया जावे। प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 09–12 तथा संलग्नक के पृष्ठ संख्या 30–31 एवं 33 को कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा।
04.	उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड आलू के निर्यात की कार्ययोजना पर विचार।	उत्तर प्रदेश से ब्रांडेड आलू के निर्यात की कार्ययोजना को प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया। ताज ब्राण्ड आलू के निर्यात के लिए उत्तर प्रदेश पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसाइटी द्वारा नैफेड के माध्यम से निर्यात, एपीडा के संयोजन में बायर सेलर मीट में प्रतिभाग, वाशी (मुम्बई) मण्डी में कार्यालय हेतु दुकानों को लीज पर लेने का प्रस्ताव तथा मुम्बई में कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था से सहमति व्यक्त की गयी तथा यह भी निश्चय हुआ कि प्रस्तावित 2000 टन के निर्यात हेतु 1.00 रूपये प्रति कि0ग्रा0 आलू की दर से इनलैण्ड फ्रेट सब्सिडी (परिवहन अनुदान) तथा 25 पैसे प्रति कि0ग्रा0 की दर से ब्राण्ड प्रमोशन सब्सिडी परिषद निधि से उपलब्ध करायी जाय। अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया। पृष्ठ 34–37 कार्यवृत्त का अंश होगा।
05.	नवाब ब्रांड आम के विपणन की कार्य योजना पर विचार।	नवाब ब्रांड आम के विपणन की कार्य योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तद्नुसार आम सत्र 2006 के लिए नैफेड से एम0ओ0यू0 करने एवं कृषि विकास निधि के अधीन मुम्बई तथा बंगलौर में ब्राण्ड प्रमोशन आयोजित करने, 05 रिफर कन्टेनर से आम निर्यात करने एवं सी प्रोटोकाल विकसित करने तथा

		हवाई/ समुद्री भाड़े के अनुदान का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। व्यय का 25 प्रतिशत कृषकों द्वारा वहन करने पर उनकी विदेश यात्रा का प्रस्ताव तथा लखनऊ एवं सहारनपुर के आम उद्यान पतियों के लिए प्रस्तावित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रशिक्षण परियोजना का भी अनुमोदन किया गया। पृष्ठ 93–97 को कार्यवृत्त का अंश समझा जाय।
06.	क) नोएडा पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी के निर्माण की प्रगति आख्या। ख) पुष्प की थोक सीमा के निर्धारण पर विचार ।	क) नोएडा पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी के निर्माण हेतु प्रस्तावानुसार सिविल कार्यो हेतु संशोधित लागत रू0 969.15 लाख तथा विद्युत यांत्रिक कार्यो हेतु रू0 274.57 लाख कुल रू0 1243.72 लाख की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। ख) सभी प्रकार के फूलों की फुटकर बिक्री एवं भण्डारण / संग्रह की सीमा निर्धारण किये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
07.	निर्यात प्रोत्साहन के सम्बन्ध में कृषक/मिलर्स की प्रशिक्षण योजना पर विचार तथा निर्यात हेतु चयनित कतिपय कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में फसलोत्तर प्रबन्ध व विपणन अवस्थापना सुविधाओं पर विचार।	निर्यात प्रोत्साहन के सम्बन्ध में कृषक/ मिलर्स की प्रशिक्षण योजना तथा निर्यात हेतु चयनित कतिपय कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में फसलोत्तर प्रबन्ध व विपणन अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रतापगढ़ में आँवला प्रसंस्करण इकाई, मैनपुरी में लहसुन प्रसंस्करण इकाई तथा इटावा में आलू/ मटर की प्रसंस्करण इकाई का भी प्रोफाइल तैयार कराए जाने का विनिश्चय हुआ।
08.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में विचार।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावानुसार किसान मण्डी भवन में स्पेस एवं वर्किंग फैसिलिटीस् उपलब्ध कराने, उच्च स्तरीय कम्प्यूटराईजेशन समिति द्वारा अनुशंसित मिडिलवेयर के खुली निविदा के माध्यम से क्रय करने तथा आई0आई0टी0 कानपुर को कन्सलटेन्सी चार्जेस का भुगतान करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
09.	कृषि विविधीकरण परियोजना से अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु यू0पी0 डास्प–1 में कार्य कर चुके अभियन्ताओं की मण्डी परिषद में बाह्य सेवा पर तैनाती के प्रस्ताव पर विचार।	कृषि विविधीकरण परियोजना के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई को मण्डी परिषद स्तर पर गठित करने तथा लोक निर्माण विभाग से डास्प–फेज प्रथम के अनुभवी अथवा अन्य सुयोग्य दो अधिशासी अभियन्ताओं तथा दो सहायक अभियन्ताओं को बाह्य सेवा पर लेने का अनुमोदन किया गया।
10.	आधुनिक विपणन व्यवस्था के लिए परिषद में मार्केटिंग मैनेजर के पदों के सृजन पर विचार।	आधुनिक विपणन व्यवस्था के लिए परिषद में मार्केटिंग मैनेजर के 04 पदों के सृजन तथा संयुक्त निदेशक (विपणन) के 01 तथा विपणन अधिकारी के

		01 पद के समर्पण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 में भी तद्नुसार संशोधन को स्वीकार किया गया। पृष्ठ 180–183 को कार्यवृत्त का अंश माना जाय।
11.	शाहजहॉपुर (मेरठ), म्याऊ (बरेली) एवं जनपद श्रावस्ती में मण्डी/ उपमण्डी की स्थापना पर विचार।	ग्राम पंचायत शाहजहाँपुर (मेरठ) को मण्डी समिति, मेरठ का उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी। म्याऊँ (बरेली) को मण्डी समिति बदायूँ का उप मण्डी स्थल घोषित करने तथा जिला श्रावस्ती में मण्डी समिति, श्रावस्ती (मुख्यालय भिनगा) का सृजन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
12.	क) मण्डी स्थलों/ उपमण्डी स्थलों एवं फल – सब्जी स्थल के निर्माण की स्वीकृति पर विचार। ख) जनपद रायबरेली में कृषक दुग्ध उत्पाद मण्डी के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	क) प्रस्तावानुसार नवीन मण्डी स्थल पयागपुर, बिसवां, खागा, अकबरपुर, बिजनौर, छुटमलपुर एवं उप मण्डी स्थल गढ़मुक्तेश्वर, कुरावली, जसराना तथा अतिरिक्त नवीन फल सब्जी मण्डी स्थल, फर्रूखाबाद के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी। ख) रायबरेली में कृषक दुग्ध उत्पाद मण्डी स्थल के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
13.	कतिपय मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण लोहिया ग्रामों को केन्द्रीय मण्डी निधि से वित्तीय पोषण दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्तावानुसार 59 लोहिया ग्रामों को केन्द्रीय मण्डी निधि (शासन अंश) से वित्त पोषण के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
14.	नवीन मण्डी स्थलों में निर्मित विशिष्ट अतिथि गृहों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्तावानुसार मण्डी परिषद के 19 अतिथि गृहों के लिए जाब कान्ट्रेक्ट बेसिस पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई तथा अतिथियों के खान पान आदि की व्यवस्था के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
15.	नाशीजीवी (बायो कण्ट्रोल लैब्स) प्रबन्ध केन्द्रों के निर्माण पर हुए अतिरिक्त व्यय को मण्डी परिषद से वहन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	नाशीजीवी (बायो कण्ट्रोल लैब्स) प्रबन्ध केन्द्रों के निर्माण पर हुए अतिरिक्त व्यय को केन्द्रीय मण्डी निधि (परिषद अंश) से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
16.	नवीन मण्डी स्थल, सिरसागंज हेतु अधिग्रहीत भूमि में से गाटा संख्या 111 में से 0.413 हेक्टेयर भूमि अन्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	जिलाधिकारी फिरोजाबाद तथा मण्डी समिति, सिरसागंज की संस्तुति के दृष्टिगत मण्डी अधिनियम– 1964 की धारा– 12(1) के प्रोवीजो के अधीन गाटा संख्या 111 रकबा 1.546 हेक्टेयर में से अन्तिम किनारे की 0.413 हेक्टेयर भूमि श्रीमती खिलौना देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम भावली, सिरसागंज तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
17.	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जेवर	नवीन मण्डी स्थल जेवर (गौतमबुद्ध नगर) एवं मण्डी

	जनपद गौतमबृद्ध नगर एवं मण्डी समिति, मथुरा के उप मण्डी स्थल, गोर्वधन के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर विचार।	समिति, मथुरा के उप मण्डी स्थल, गोवर्धन के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी।
18.	गैरनियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.05 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार।	गैरनियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.05 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। प्रस्ताव के अंश 1, 2, 3, 4 जो एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 242 एवं 243 पर अंकित है, को स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से यह विनिश्चय किया गया कि दिनांक 16.12.2005 के उपरान्त इन कर्मचारियों से लिये गये कार्य की अवधि का भुगतान कर दिया जाय। एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 243 पर अंकित प्रस्ताव के अंश 5 (5–1 से 5–3) में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चूँकि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण नीतिगत एवं विधिक बिन्दु निहित हैं, अतः इन्हें शासन को सन्दर्भित कर महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।
19.	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में छात्रवृत्ति योजना लागू किये जाने पर विचार।	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में छात्रवृत्ति योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। कृषि महाविद्यालयों में भी कृषि विश्वविद्यालयों की ही दर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ।
20.	पंचम वेतनमान पुनरीक्षण में सामान्य वेतनमान/ समयमान वेतन मान पुनरीक्षण तथा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रभावी न होने के फलस्वरूप चतुर्थ वेतनमान में ही कार्यरत कार्मिकों को पूर्व की भॉति चतुर्थ वेतनमान में ही अनुमन्य की गयी सेलेक्सन ग्रेड/ समय वेतनमान की सुविधा दिये जाने की कार्योतर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम वेतनमान पुनरीक्षण में सामान्य वेतनमान/ समयमान वेतन मान पुनरीक्षण तथा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रभावी न होने के फलस्वरूप चतुर्थ वेतनमान में ही कार्यरत कार्मिकों को पूर्व की भॉति चतुर्थ वेतनमान में ही अनुमन्य की गयी सेलेक्शन ग्रेड/ समयमान वेतनमान की सुविधा दिये जाने की कार्योतर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसी परिधि में आने वाले लगभग 70 कर्मियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का अनुमोदन दिया गया।
21.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत 03 कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम हेतु रू0 1.20 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
22.	वित्तीय वर्ष 2005–06 में परिषद निधि के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त व्यय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव का पूर्ण विवरण।	छात्रवृत्ति योजना/ भवन जलकर अन्य कर/ विविध व्यय/ किसान मण्डी भवन एवं आवासीय कालोनी का सिविल अनुरक्षण/ विधि व्यय कुल 05 मदों में परिषद निधि वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में क्रमशः रू0 50.00, 20.00, 20.00,

		20.00, 25.00 लाख कुल रूपये 135.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान स्वीकृत किया गया।
23.	पूर्व में पारित मण्डी अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव में कतिपय त्रुटियों के निराकरण पर विचार।	मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 21–ए की उपधारा (6) में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर कलेक्टर तथा धारा 21–ए की उपधारा (7) में कलेक्टर के स्थान पर कमिश्नर तथा डिस्ट्रिक्ट के स्थान पर डिवीजन शब्द रखने विषयक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

24.	जनपद बाँदा के "कमासिन" कस्बे को उप मण्डी स्थल घोषित करने तथा मण्डी समिति, किशनपुर (फतेहपुर) के जनपद बाँदा में स्थित क्षेत्र को मण्डी समिति, बबेरू, बांदा में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार।	मण्डी समिति, किशनपुर (फतेहपुर) के जनपद बाँदा में स्थित क्षेत्र को किशनपुर से निकाल कर मण्डी समिति, बबेरू, बांदा में सम्मिलित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा कमासिन कस्बे को मण्डी समिति बबेरू, बांदा का उप मण्डी स्थल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश